

प्रमाण—पत्र

डीन/प्रधानाचार्य के द्वारा ही दिया जाय

प्रमाणित किया जाता है कि डा०
ने एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा विषय में
इस विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज
से वर्ष में प्रवेश लिया एवं वर्ष में उत्तीर्ण किया।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस ब्रान्च में मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया
द्वारा मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या हैं, और प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की
संख्या है। सम्बन्धित डा०
ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त सीट से ही प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
नोट: केवल मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त सीट से प्रशिक्षण प्राप्त करने
वाले छात्रों को ही उक्त प्रमाण—पत्र दिया जाय।

हस्ताक्षर
डीन/प्रधानाचार्य
मोहर